न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा राज0

मि0नं0	दर्ज दिनांक	तारीख फैसला
156 / 23	03.01.2024	22.02.2024

पीठासीन अधिकारी –विजेन्द्र कुमार मीणा(आर.ए.एस.)

उनवान

1– भैरूलाल आत्मज प्रभूलाल जाति नाथ निवासी ग्राम मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से:– श्री अनिल खण्डेलवाल एड0

प्रतिवादी की ओर से–तहसीलदार दीगोद

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट बाबत नाम दुरूस्ती

निर्णय

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है:–

संक्षिप्त में में प्रकरण इस प्रकार है कि :–

1– यह कि ग्राम मोरपा तहसील दीगोद में वादी व अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते खाता नं0 209 नया, पुराना 198 पर खसरा नम्बर 310 की 1.53 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 संलग्न है।

2– यह कि वादी का नाम भेरूलाल आत्मज प्रभु है , वादी के पहचान पत्र , राशन कार्ड, आधार कार्ड, में वादी का नाम भेरूलाल आत्मज प्रभु ही अंकित है किन्तु उक्त जमाबन्दी में वादी का नाम भेरूनाथ आत्मज प्रभु अंकित हो गया है जो गलत है। इस कारण वादी को ऋण व खाद बीज आदि व सरकारी योजना का लाभ लेने में परेशानी आ रही है इस कारण राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भेरूनाथ आत्मज प्रभू के स्थान पर भेरूलाल आत्मज प्रभु अंकित किया जाना आवश्यक है।

3– यह कि उपरोक्त कारण से ग्राम मोरपा के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम भेरूनाथ के स्थान पर भेरूलाल दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन किया तथा अन्त में दिनांक 18.12.2023 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नही दिया ओर मना कर दिया। जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

4– यह कि वाद कारण प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज कर दिये जाने के कारण व दिनांक 19.12.2023 को वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूरत करने से इन्कार करने पर पैदा हुआ।

5– यह कि प्रतिवादी राजस्थान सरकार भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे:–

1– कि ग्राम मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 310 की 1.53 हेक्टर भूमि में वादी का नाम भेरूनाथ के स्थान पर भेरूलाल दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गयेः–

1– नकल जमाबन्दी ग्राम मोरपा सम्वत 2075–2078

2– फोटो प्रति आधार कार्ड

3– फोटो प्रति राशन कार्ड

4– फोटो प्रति पहचान पत्र

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादी तहसीलदार की ओर से जवाब सरकार प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलद दीगोद में अपने जवाब में वादी का नाम पटवारी हल्का मोरपा की रिपोर्ट अनुसार भेरूनाथ पुत्र प्रभु व भेरूलाल पुत्र प्रभु दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होना प्रमाणित किया है।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रकरण में जवाब सरकार एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। वादी का वाद पत्र स्वीकार होने योग्य है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि कि ग्राम मोरपा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 310 की 1.53 हेक्टर भूमि में खातेदार का नाम भेरूनाथ पुत्र प्रभु के स्थान पर भेरूलाल पुत्र प्रभु दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद